

शोध और अनुसंधान में सरकारी हस्तक्षेप बढ़ना...

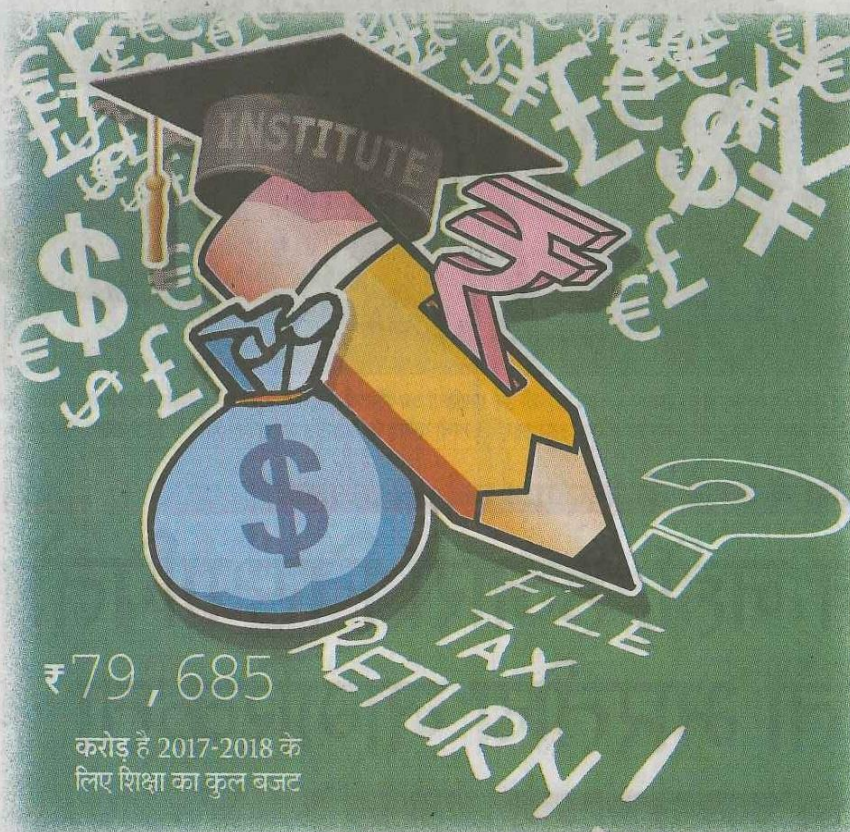
देश में वैज्ञानिक और तकनीक क्षेत्र का विकास हो सकता है बाधित

विदेशी फंड की आड़ में देश के सौ से अधिक शिक्षण संस्थानों को प्रतिबंधित करना वैज्ञानिक विकास की दृष्टि से घातक हो सकता है। इसका हल विभागीय स्तर पर संभव है। जिन संस्थान ने जरूरी प्रक्रिया पूरा नहीं की, उनसे इस प्रक्रिया को पूरा कराने की आवश्यकता है। इसके बदले सरकार ने जिस तरीके से सौ संस्थानों को प्रतिबंधित किया है वो चौकाने वाला है।

धीरेंद्र मिश्र

rajasthanpatrika.com

इस बात को समझने की जरूरत है कि उच्च शिक्षा में शोध के लिए सरकार की तरफ से न के बराबर फंड मिलता है। शिक्षाविद व वैज्ञानिक यूएस, ईयू, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, जापान, कनाडा, आस्ट्रेलिया से द्विपक्षीय, बहुपक्षीय व आपसी समझौते के आधार पर अधिकांश रिसर्च करते हैं। न्यूक्लियर फिजिक्स, बायो-टेक्नोलॉजी, मेडिकल साइंस, स्पेस साइंस, रसायन विज्ञान, खगोल विज्ञान, ग्लोबल वार्मिंग जैसे व्यापक महत्व के विषयों पर शोध जारी है। प्रतिबंधों देश की छवि को बूझा सकता है। साथ ही वैज्ञानिक विकास भी अवरुद्ध हो सकता है।



₹79,685 करोड़ है 2017-2018 के लिए शिक्षा का कुल बजट

आत्मनिर्भरता के लिए फंड जरूरी

देश को तकनीक और विज्ञान के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए विदेशी फंड जरूरी है। तभी देश के अंदर रिसर्च संभव है। तकनीक खरीदकर आत्मनिर्भर नहीं बना जा सकता। आत्मनिर्भर नहीं होने की स्थिति में कोई भी देश जरूरत के समय सहयोग से इनकार कर सकता है। 1974 और 1998 में पोखरण विस्फोट इसका ज्वलंत उदाहरण है।

कहीं कोई हिडन एजेंडा तो नहीं

शिक्षाविदों का एक तबका मानता है कि गृहमंत्रालय ने इस बात को लेकर अपना स्टैंड स्पष्ट नहीं किया है। इससे शोध और अनुसंधान में रत संस्थानों के शिक्षाविदों और शोधार्थियों यह सोचने लगे हैं कि इसके पीछे सरकार की कोई नीतिगत मंशा तो नहीं है। इस बात को लेकर शोध संस्थानों को उलझाए रखना उचित नहीं कहा जा सकता।

परमिशन की जटिल प्रक्रियाएं

शोध के लिए संस्थानों को मंत्रालयी या यूजीसी से परमिशन लेने के लिए नियमों की जटिल प्रक्रियाओं में उलझाने की आवश्यकता नहीं है। एफसीआरए का लाइसेंस और रिटर्न नहीं भरने का मसला पांच साल का है। अब तक भरते रहे हैं तो आगे भी उसे भर देंगे।

सूची में शामिल प्रमुख संस्थान

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू), दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू), आईआईटी-दिल्ली इंडियन काउंसिल ऑफ एथिकल्स रिसर्च, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस (कर्नाटक), इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ (बेंगलुरु), श्री महात्मा गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट (गुजरात), स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड ऑर्किटैक्चर (दिल्ली), फिवकी सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट फाउंडेशन, आर्मड फोर्स फ्लैग डे फंड, एस्कॉर्ट हार्ट इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर, गांधी पीस फाउंडेशन, नेहरू युवा केंद्र संगठन, डॉ. जाकिर हुसैन मेमोरियल ट्रस्ट, बॉम्बे डॉयसेशन सोसायटी आदि।

6 शोध और अनुसंधान के क्षेत्र में बहुत कम सरकारी अनुदान मिलता है। शिक्षण व शोध से जुड़े संस्थान अपने स्तर पर विदेशी फंड हासिल करते हैं। अगर उसे भी रोका गया तो यह देश के लिए घातक होगा, क्योंकि रणनीतिक दृष्टि से विदेशी संस्थानों के साथ कई अहम प्रोजेक्ट्स पर शोध जारी है।...

प्रो आदित्य नारायण मिश्रा, पूर्व अध्यक्ष फेडकॉ-इंडा